

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3113
दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

जनजातीय आवासों का विद्युतीकरण

†3113. श्री के. राधाकृष्णन:

एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए जनजातीय आवासों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024 से अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय बहुल जिलों में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार और फीडर-वार औसत कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की गई है;

(ग) वर्ष 2024 से अनुसूचित क्षेत्रों में औसतन प्रतिदिन बारह घंटे से कम बिजली आपूर्ति का सामना करने वाले गांवों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में पारेषण और वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए सभी उपभोक्ताओं (जिनमें आदिवासी परिवार भी शामिल हैं) को विद्युत आपूर्ति और वितरण संबंधित वितरण कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह कंपनी संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मार्गदर्शन में कार्य करती है। इसके अलावा, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी को सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करनी होती है। तथापि, राज्य आयोग कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति के घंटे कम तय कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी बहुल जिले भी शामिल हैं।

पारेषण के मामले में, भारत सरकार पारेषण योजना बनाने और अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क को लागू करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करती है। राज्य के भीतर का पारेषण नेटवर्क राज्य द्वारा विकसित किया जाता है। वर्ष 2014 से अब तक कुल 2,18,267 सीकेएम पारेषण लाइनें, 9,47,405 एमवीए परिवर्तन क्षमता और 84,390 एमडबल्यू अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता जोड़ी गई है, इससे आदिवासी और दूर-दराज के इलाकों सहित पूरे देश में विद्युत पहुंचाने की क्षमता मजबूत हुई है।

वितरण के मामले में, भारत सरकार अच्छी गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने में राज्यों की सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों के माध्यम से उनके प्रयासों को सहयोग देती है।

डीडीयूजीजेवाई, एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और सौभाग्य जैसी पुरानी स्कीमों के अंतर्गत 1.85 लाख करोड़ रुपये के कार्य पूरे किए गए। वर्तमान में, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, हानि न्यूनीकरण अवसंरचना के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और उसके बाद अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2019 तक सभी इच्छुक घरों (जिनमें आदिवासी घर भी शामिल हैं) में विद्युत पहुँचाने का कार्य पूरा कर लिया गया था। सौभाग्य स्कीम के दौरान कुल 2.86 करोड़ घरों में विद्युत पहुँचाई गई, जिनमें आदिवासी घर भी शामिल थे। ये दोनों स्कीमों 31 मार्च 2022 को बंद हो चुकी हैं।

जुलाई 2021 में शुरू की गई तथा वर्तमान में चल रही आरडीएसएस के अंतर्गत, राज्यों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, उन घरों में विद्युत पहुँचाने के कार्यों को मंजूरी दी गई है जो पहले छूट गए थे। चूँकि छोटे हुए ज्यादातर घर दूर-दराज़, पहाड़ी और वन क्षेत्रों में हैं, इसलिए आरडीएसएस के अंतर्गत घरों में विद्युत पहुँचाने के नियमों में ढील दी गई और विद्युत पहुँचाने की लागत की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई। संशोधित नियमों के अनुसार, जहाँ भी संभव पाया गया, वहाँ आरडीएसएस के अंतर्गत ग्रिड-आधारित विद्युत पहुँचाने के कार्यों को मंजूरी दी गई है, और जहाँ ग्रिड से विद्युत पहुँचाना संभव नहीं है, वहाँ नई सोलर पावर स्कीम के तहत ऑफ-ग्रिड सोलर-आधारित विद्युत पहुँचाने का कार्य शुरू किया गया है।

आरडीएसएस के अंतर्गत 13.65 लाख घरों (जिनमें सार्वजनिक स्थान भी शामिल हैं) के लिए 6,522 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर किए गए हैं। इसमें 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान' (पीएम-जनमन) के तहत पहचाने गए 'विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों' (पीवीटीजी) के 1,27,987 घरों और 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीए-जेजीयूए) के तहत पहचाने गए अनुसूचित जनजातियों के 2,83,558 घरों के लिए मंजूरी शामिल है। इसके अतिरिक्त, गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में संबंधित राज्य योजनाओं के तहत 52,439 घरों को शामिल किया गया है। अब तक 4.88 लाख घरों में विद्युत पहुँचाई जा चुकी है, जिनमें 2,77,256 पीवीटीजी और आदिवासी घर शामिल हैं। नई सोलर पावर स्कीम के अंतर्गत, पीएम-जनमन के अंतर्गत 8,823 पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के अंतर्गत 4,099 आदिवासी घरों में ऑफ-ग्रिड सौर-आधारित विद्युत पहुँचाने के कार्य मंजूर किए गए हैं। अब तक, इस स्कीम के तहत 11,838 पीवीटीजी और आदिवासी घरों में विद्युत पहुँचाई जा चुकी है। (पीवीटीजी और आदिवासी घरों में बिजली पहुँचाने से जुड़ी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार जानकारी **अनुबंध-I** पर दी गई है)।

इसके अलावा, देश के दूर-दराज़ और सीमावर्ती इलाकों के लिए, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में विद्युत अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1,164 करोड़ रुपये के कार्य मंजूर किए गए हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों के मिले- जुले प्रयासों और अलग-अलग स्कीमों के तहत किए गए वितरण अवसंरचना कार्यों के परिणामस्वरूप, ग्रामीण इलाकों में रोज़ाना विद्युत आपूर्ति का औसत समय वित्त वर्ष 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 22.6 घंटे हो गया है, और शहरी इलाकों में यह वित्त वर्ष 2014 में 22.1 घंटे से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 23.4 घंटे हो गया है। हालांकि, सूक्ष्म स्तर पर विद्युत आपूर्ति के घंटों से जुड़ी जानकारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर रखी जाती है (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली विद्युत आपूर्ति के घंटों से जुड़ी जानकारी **अनुबंध-II** पर दी गई है)।

क. पीवीटीजी और आदिवासी घरों में बिजली पहुँचाने के कार्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर
पीएम-जनमन के तहत पहचाने गए पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण			
आरडीएसएस के अंतर्गत			
1	आंध्र प्रदेश	24,967	24,925
2	छत्तीसगढ़	7,077	7,349
3	झारखंड	12,442	11,504
4	कर्नाटक	1,615	1,546
5	केरल	345	314
6	मध्य प्रदेश	30,216	28,396
7	महाराष्ट्र	8,556	9,216
8	राजस्थान	17,633	16,023
9	तमिलनाडु	8,603	7,400
10	तेलंगाना	3,884	3,884
11	त्रिपुरा	11,664	11,692
12	उत्तर प्रदेश	316	195
13	उत्तराखंड	669	669
	उप-योग	1,27,987	1,23,113
राज्य योजना के अंतर्गत			
1	गुजरात	0	6,626
2	ओडिशा	0	6,106
3	पश्चिम बंगाल	0	3,372
	उप-योग	0	16,104
आरडीएसएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान			
1	मध्य प्रदेश	25	21
	उप योग	25	21
	कुल	1,28,012	1,39,238
डीए-जेजीयूए के अंतर्गत पहचाने गए आदिवासी घरों में बिजली पहुँचाना			
आरडीएसएस के अंतर्गत			
1	आंध्र प्रदेश	4,921	5,328
2	अरुणाचल प्रदेश	1,938	1,866
3	बिहार	7,117	1,635
4	छत्तीसगढ़	39,579	25,421
5	हिमाचल प्रदेश	93	21
6	जम्मू एवं कश्मीर	13,824	0
7	झारखंड	19,467	0
8	कर्नाटक	5,288	1,714
9	केरल	1,080	295
10	मध्य प्रदेश	59,172	33,883
11	महाराष्ट्र	6,961	5,228
12	राजस्थान	82,842	21,303
13	तेलंगाना	26,525	23,748
14	त्रिपुरा	7,677	7,635
15	उत्तर प्रदेश	6,867	274

16	उत्तराखंड	207	165
	उप-योग	2,83,558	1,28,516
आरडीएसएस के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान			
1	आंध्र प्रदेश	182	134
2	अरुणाचल प्रदेश	9	9
3	हिमाचल प्रदेश	7	3
4	झारखंड	1,910	0
5	केरल	17	0
6	मध्य प्रदेश	650	251
7	राजस्थान	195	0
8	तेलंगाना**	672	8,745
9	त्रिपुरा	512	349
10	उत्तर प्रदेश	30	7
11	उत्तराखंड	19	4
	उप योग	4,203	9,502
	कुल	2,87,761	1,38,018

*ओडिशा राज्य के लिए, डीए-जेजीयूए के अंतर्गत राज्य योजना से बिजली पहुँचाने के लिए 36,335 घरों और 548 सार्वजनिक स्थानों की पहचान की गई है।

** तेलंगाना में डीए-जेजीयूए के तहत सार्वजनिक जगहों पर बिजली पहुँचाने के कार्य में आंगनवाड़ी केंद्र भी शामिल हैं; कुछ राज्यों में, बिजली कनेक्शन पाने वाले घरों की संख्या मंजूरी मिले घरों की संख्या से ज्यादा है, क्योंकि बिजली पहुँचाने का कार्य सर्वेक्षण में पहचाने गए घरों के आधार पर किया जाता है।

ख. नई सोलर विद्युत स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर-आधारित घरेलू विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	विद्युत सुविधा वाले घरों की संख्या
पीएम-जनमन के तहत पीवीटीजी घर		
1.	आंध्र प्रदेश	1531
2.	छत्तीसगढ़	737
3.	झारखंड	2182
4.	मध्य प्रदेश	1193
5.	कर्नाटक	179
6.	केरल	88
7.	तेलंगाना	126
8.	त्रिपुरा	1703
डीए-जेजीयूए के तहत आदिवासी घर		
1.	अरुणाचल प्रदेश	3999
2.	मणिपुर	100
कुल		11838

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार आपूर्ति के औसत घंटे (घंटे:मिनट में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2024-25		2025-26	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	22:06	22:42	**	**
2	आंध्र प्रदेश	23:54	23:54	23:51	23:55
3	अरुणाचल प्रदेश	20:30	21:42	23:05	23:33
4	असम	23:24	23:42	23:14	23:24
5	बिहार	23:42	23:36	23:24	23:39
6	चंडीगढ़	*	24:00	*	24:00
7	छत्तीसगढ़	24:00	24:00	23:24	23:50
8	दादरा एवं नगर हवेली	**	**	23:39	23:50
9	दिल्ली	*	24:00	*	24:00
10	गोवा	24:00	24:00	**	24:00
11	गुजरात	23:54	24:00	23:54	23:58
12	हरियाणा	19:06	23:42	22:40	23:44
13	हिमाचल प्रदेश	23:54	23:54	23:40	23:47
14	जम्मू और कश्मीर	23:30	23:36	20:23	21:39
15	झारखंड	22:00	22:30	21:27	22:38
16	कर्नाटक	22:06	23:12	23:27	23:44
17	केरल	24:00	24:00	23:48	23:48
18	लद्दाख	23:18	23:30	21:45	21:31
19	मध्य प्रदेश	22:00	22:42	22:50	23:25
20	महाराष्ट्र	22:00	23:54	21:52	22:10
21	मणिपुर	22:36	23:42	23:05	23:13
22	मेघालय	22:18	23:24	23:34	23:50
23	मिजोरम	23:12	23:36	19:59	22:54
24	नगालैंड	19:30	22:12	19:53	22:28
25	ओडिशा	21:06	24:00	23:57	23:58
26	पुदुचेरी	24:00	24:00	23:55	23:52
27	पंजाब	17:18	20:00	23:16	23:35
28	राजस्थान	20:30	22:06	21:11	23:00
29	सिक्किम	23:48	24:00	22:53	23:37
30	तमिलनाडु	24:00	24:00	24:00	24:00
31	तेलंगाना	24:00	23:54	24:00	23:59
32	त्रिपुरा	24:00	23:36	23:11	23:53
33	उत्तर प्रदेश	22:18	23:30	21:47	23:28
34	उत्तराखंड	23:42	23:36	23:28	23:40
35	पश्चिम बंगाल	24:00	24:00	23:50	23:59
	राष्ट्रीय औसत	22:36	23:24	22:36	23:24

* ग्रामीण क्षेत्र मौजूद नहीं है

** डेटा उपलब्ध नहीं
